भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1406
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

स्व-रोजगार

1406. श्री एस॰सी॰ उदासीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार स्व-रोजगार प्रदान किया जा रहा है;
(ख) यदि हां, तो जरूरतमंदो को प्रदान किए गए स्व-रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने रोजगार प्रदान करने के विद्यमान तंत्र का कोई आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित स्व-रोजगार की दर 52.2% है और राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। रोजगार के सृजन, आजीविका अवसरों के सुदृढ़ीकरण, स्व-रोजगार के प्रोत्साहन के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने हेतु अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), तथा पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 16 जून, 2019 तक 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने तथा उनके रोजगार तथा स्व-रोजगार अवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगा।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

अनुबंध

स्व-रोजगार के संबंध में लोक सभा के दिनांक 01.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार स्व-रोजगार दर (प्रतिशत में)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सभी स्व-नियोजित (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	44.7
अरुणाचल प्रदेश	66.5
असम	56.5
बिहार	54.8
छत्तीसगढ़	66.2
दिल्ली	32.8
गोवा	28.8
गुजरात	54.7
हरियाणा	43.8
हिमाचल प्रदेश	67.3
जम्मू और कश्मीर	59.5
झारखंड	61.3
कर्नाटक	47.8
केरल	37.8
मध्य प्रदेश	57.8
महाराष्ट्र	47.0
मणिपुर	64.5
मेघालय	68.5
मिजोरम	63.2
नागालैंड	54.5
ओडिशा	57.4
पंजाब	46.0
राजस्थान	65.3
सिक्किम	64.1
तमिलनाडु	32.8
तेलंगाना	47.9
त्रिपुरा	51.2
उत्तराखंड	58.1
उत्तर प्रदेश	63.7
पश्चिम बंगाल	46.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.6
चंडीगढ़	31.9
दादर और नगर हवेली	27.4
दमन और दीव	12.2
लक्षद्वीप	14.9
पुडुचेरी	27.3
अखिल भारत	52.2

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई 2017 से जून 2018, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय